<u>महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता</u>

<u>पत्रांक: 2/2016 आर0जी0- 718 /दस-2016-107(03)/15</u>

प्रेषक,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

प्रेष्य,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0 ।

<u>वित्त संसाधन(सामान्य) अनुभाग</u> **<u>लखनऊ: दिनांक: 06 जून, 2016</u>**

<u>विषय: जनपद के कर-करेत्तर राजस्व लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्तियों/समग्र उपलब्धि की सूचना निर्धारित प्रारूपों पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।</u>

महोदय,

मेरे पत्र आर0जी0-602/106(08)/15-दस-2015, दिनांक 23 जुलाई, 2015 तथा पत्र संख्या-आर0जी0-1208/दस-2015-107(03)/15, दिनांक 26 नवम्बर, 2015 द्वारा आपके जनपदों हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की पॉच मुख्य करों की मासिक/क्रमिक प्राप्तियों एवं समग्र उपलब्धि तथा करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत अलौह खनन की प्राप्तियों की सूचना उक्त पत्रों के साथ प्रेषित प्रारूपों पर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वित्त विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं ।

2. वित्तीय वर्ष 2016-17 से इस व्यवस्था को परिवर्तित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत जनपद अब राजस्व प्राप्तियों की सूचना सम्बन्धित कर/करेत्तर राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित विभागों यथा-वाणिज्य-कर, आबकारी, स्टाम्प एवं निबन्धन, परिवहन तथा मनोरंजन-कर एवं करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत अलौह खनन एवं खनिकर्म विभाग को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भेजेगें । सम्बन्धित विभाग जनपदों से प्राप्त सूचना का मिलान/सत्यापन कर वित्त विभाग को प्रत्येक माह की 12 तारीख तक मासिक/क्रमिक प्रगति की सूचना /सत्यापित ऑकडे उपलब्ध करायेंगे, जिसके आधार पर जनपदों की समग्र उपलब्धि की ग्रेडिग/सूची वित्त विभाग द्वारा तैयार कर मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी ।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 2/2016 आर0जी0 718 (1)/दस-2016-107(03)/15 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(1) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य-कर, उत्तर प्रदेश शासन ।
(3) प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश शासन ।
(4) प्रमुख सचिव, मनोरंजन-कर,उत्तर प्रदेश शासन ।
(5) प्रमुख सचिव, आबकारी, उत्तर प्रदेश शासन ।
(6) प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तर प्रदेश शासन ।
(7) प्रमुख सचिव, अलौह खनन एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश शासन ।

आज्ञा से,

(मुकेश मित्तल)
सचिव, वित्त ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।